

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल गुना (म.प्र.)

E-mail : dfot.gun@mp.gov.in, dfoguna@rediffmail.com

क्रमांक/डी.एम./2022/ 381
प्रति,

गुना दिनांक/12.01.2022

मुख्य वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

विषय :- गुना जिले में Telesonic Network Ltd. द्वारा Guna-MP/RJ Border में भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन डालने हेतु 0.3 हेक्टेयर वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने के संबंध में (FP/MP/OFC/47972/2020)

संदर्भ:- टेलीसोनिक नेटवर्क लिमिटेड इंदौर का पत्र क्रमांक /TNL/ROW/OFC/M.P/Guna-MP/RJ Border/Forest/03 Date 27-07-2020

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रबंधक, टेलीसोनिक नेटवर्क लिमिटेड इंदौर द्वारा विकासखण्ड गुना में वनमण्डल गुना के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र गुना दक्षिण के वनक्षेत्र में भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन डालने हेतु अनुमति के संबंध में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रस्ताव (पार्ट-1) प्राप्त हुआ है। आवेदित संस्थान द्वारा प्रकरण में पंजीयन शुल्क रु. 5,000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु. 25,000/- कुल रुपये 30,000/- डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक 986570 दिनांक 09.09.2020 से वनमण्डलाधिकारी गुना के नाम जमा कराये गये हैं।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में प्रस्तावित स्थल का संयुक्त स्थल निरीक्षण वन परिक्षेत्राधिकारी गुना दक्षिण एवं उप वनमण्डलाधिकारी गुना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाईन/ऑफलाईन तैयार कर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5-11/2006/10-3 भोपाल दिनांक 31 मई 2014 के निर्देशानुसार प्रस्तावित स्थल 1.000 हेक्टेयर से कम होने के फलस्वरूप शासन के पत्र दिनांक 31 मई 2014 के बिन्दु क्र. 4 के उपबिन्दु VIII के अनुपालन में वनभूमि व्यपवर्तन की अनुमति जारी करने के पूर्व क्षेत्रीय वन वृत्त के भार साधक अधिकारी से सहमति (अनुमोदन) प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव की दो प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल गुना

पृ. क्रमांक/डी.एम./2022/ 382
प्रतिलिपि :-

गुना दिनांक/12.01.2022

1. Manager, Telesonic Ltd. 3rd & 4th Floor, Scheme No. 54 A.B. Road, Metro Tower Near Vijay Nagar square Indore Madhya Pradesh की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल गुना

भाग - II

(संबंधित उपवन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य संख्या

1	जिला	1	मध्यप्रदेश
2	जिला	2	जिला -गुना
3	अपेक्षित वन भूमि के प्रस्तावित/परियोजना/स्कीम संक्षिप्त विवरण	3	Proposal No. - FP/MP/OFC/47972/2020 जिला गुना में विकासखण्ड गुना के अन्तर्गत वनपरिक्षेत्र गुना दक्षिण के अन्तर्गत टेलीसोनिक नेटवर्क लिमिटेड (एयरटेल कम्पनी) इंदौर द्वारा वनभूमि पर भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केवल डालने हेतु 0.146 हे. वनभूमि की आवश्यकता है। आवेदित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) वन विभाग के अधीन वनभूमि में :-						
अ.क्र.	कार्य	वनमण्डल का नाम	वन खण्ड	प्रकोष्ठ क्रमांक	आरक्षित / संरक्षित	प्रभावित क्षेत्रफल (हे.मै.)
1	2	3	4	5	6	7
1	भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केवल लाईन (OFC)	गुना	बेरखेड़ी	P 317	संरक्षित	0.0180
2				P 318	संरक्षित	0.0697
3				RF 188	आरक्षित	0.0225
4				RF 190	आरक्षित	0.0360
योग						0.146

(ब) मौजूदा भूमि उपयोग के लिये कुल अपेक्षित वन भूमि की मदवार जानकारी:-						
अ.क्र.	कार्य	वनमण्डल का नाम	वन खण्ड	प्रकोष्ठ क्रमांक	आरक्षित / संरक्षित	प्रभावित क्षेत्रफल (हे.मै.)
1	2	3	4	5	6	7
1	भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केवल लाईन (OFC)	गुना	बेरखेड़ी	P 317	संरक्षित	0.0180
2				P 318	संरक्षित	0.0697
3				RF 188	आरक्षित	0.0225
4				RF 190	आरक्षित	0.0360
योग						0.146

(स) शामिल वन भूमि का ब्यौरा:-						
आरक्षित वन (हे.मै.)	सरक्षित वन (हे.मै.)	अवर्गीयकृत वन (हे.मै.)	राजस्व वन (हे.मै.)	योग (हे.मै.)		
0.0585	0.0877	00.00	00.00	0.146		
0.146 हैक्ट. वनक्षेत्र						
आरक्षित एवं सरक्षित (दोनो)						
वनक्षेत्र का घनत्व 0.2 है।						
आवेदित क्षेत्र में निम्नानुसार है :-						
अ.क्र.	प्रजाति का स्थानीय नाम	बाटनीकल नाम	वृक्षों की संख्या	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण	
1	2	3	4	5	6	
1	—	—	—	—	—	
आवेदित वनक्षेत्र में भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केवल डालने से भू-क्षरण पर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।						
0 कि.मी., वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित क्षेत्र वन सीमा के अन्दर है।						
राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण/जैव मंडल रिजर्व/बांध रिजर्व/हाथी कोरीडोर के अन्तर्गत क्षेत्र नहीं है।						
प्रस्तावित क्षेत्र में प्रशनाश से संबंधित प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं।						

12	क्या कोई सुरक्षित/पुरातत्वीय/परम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई महत्वपूर्ण समारक क्षेत्र में स्थित है ? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा संक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो।	12	प्रस्तावित स्थल में कोई सुरक्षित/पुरातत्वीय/परम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान नहीं है।
13	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉल 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	13	प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।
14	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है ? (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन कार्य अभी चल रहे हैं।	14	कोई उल्लंघन कार्य नहीं किया गया है।
15	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	15	आवश्यक नहीं है।
16	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संक्षम प्राधिकारी (उप वन संरक्षक) का प्रमाण पत्र।	16	----- "-----
17	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये निर्धारित वनोत्तर/अवकृमित वनोत्तर और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	17	----- "-----
18	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय-समय अनुसूचित लागत ढांचा	18	----- "-----

	आदि।								
19	उप वन संरक्षक (वनमण्डलाधिकारी) की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट।	19	वनमण्डलाधिकारी गुना द्वारा दिनांक 09.01.2022 को आवेदित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया।						
20	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (दाण्डिक प्रतिपूरक वनीकरण सहित)	20	24.10.80 से भारत सरकार/ राज्य सरकार/ नोडल अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वे) से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया जाना था।						
			अ. क्र.	दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हेक्टे. में)	दण्ड स्वरूप वनभूमि पर (हेक्टे. में)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)	दण्डास्वरूप गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)	योग	
			1	2	3	4	5	6	
			1	395.315	6298.235	2458.776	—	9297.001	
			जिला गुना के अन्तर्गत दण्ड के रूप में क्षतिपूर्ति वनीकरण नहीं किया गया। अभी तक कुल वृक्षारोपण 9297.001 हेक्टेयर है।						
21	परिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि पर	21	अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया गया है :-						
			जिला	दुगने बिगड़े वनक्षेत्रा में (हेक्टे. में)	दण्ड स्वरूप वनभूमि पर (हेक्टे. में)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)	दण्डास्वरूप गैर वन भूमि पर (हेक्टे. में)	योग	व्यय
			1	2	3	4	5	6	7
			गुना	463.330	590.394	278.520	119.616	1451.860	11078590 / —
			अभी तक कुल वृक्षारोपण 1451.860 हेक्टेयर में एवं व्यय 11078590 रु. है।						
22	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशिष्ट अनुशंसा	22	टेलीसोनिक नेटवर्क लिमिटेड (एयरटेल कम्पनी) इंदौर को 0.146 हेक्टर वनक्षेत्र भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केवल लाईन (ओ.एफ.सी) डाले जाने हेतु उपयोग पर देने के अनुशंसा की जाती है।						

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल गुना